बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

सं0 सं0–6/वि02–1014/12– 1482 पटना, दिनांक :– 16·8·13

विषय : भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से उपलब्ध होने वाली 50 प्रतिशत राशि एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की लगभग 25–25 प्रतिशत राशि से कुल संभावित राशि 1422 करोड़ रूपये की लागत से राज्य के दस जिलों यथा पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं पश्चिमी चम्पारण में योजनाओं का कार्यान्वयन (वर्ष 2013–14 से वर्ष 2018–19 तक) करने की स्वीकृति।

भारत सरकार द्वारा सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से **पाईप जलापूर्ति अच्छादन में पिछड़े** 4 राज्यों (**बिहार**, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड एवं असम) का विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित परियोजना हेतु चयन किया गया है। इस परियोजना में राज्य के दस जिलों यथा–पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, सारण एवं पश्चिमी चंपारण को शामिल किया गया है।

2. यह परियोजना **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** के अंतर्गत संचालित होगी। इसके अधीन विश्व बैंक से धनराशि भारत सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त होनी है और राज्य को यह धनराशि भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक के ऋण से पोषित होगी जो राज्य के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधानित **केन्द्रांश** एवं **राज्यांश** से बराबर–बराबर (25–25 प्रतिशत)उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत विश्व बैंक का ऋण इन्टरनेशनल डेवल्पमेन्ट एजेन्सी (IDA) विन्डो से है अर्थात यह सॉफ्ट लोन की श्रेणी में है। योजना की अवधि 2013–14 से वर्ष 2018–19 तक 6 वर्ष की होगी। प्राप्त होने वाली राशि का संधारण एवं संचालन अनुमोदित मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा।

3. विश्व बैंक सहायतित उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत बिहार को ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम हेतु कुल **₹1422.00** करोड़ की धनराशि उपलब्ध होने की संभावना है, जिसमें से ₹1186.00 करोड़ पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं हेतु प्रस्तावित है। परियोजनाधीन स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा संचालित निर्मल भारत अभियान का पूरक होगा एवं इस हेतु ₹ 54.00 करोड़ की उपलब्धता अनुमानित है।परियोजना के दिशा–निर्देशानुसार कार्यक्रम जिलाव्यापी अवधारणा के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा ताकि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके।

4. बड़ी ग्राम समूह परियोजना आवश्यकतानुसार "पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप" के आधार पर भी क्रियान्वित की जा सकती है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एकल बसावट योजनाओं के क्रियान्वयन में **ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति (GPWSC)** तथा जन सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा। सहयोगी संगठनों (Support Organizations) के द्वारा शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता एवं योजनाओं की प्रारम्भिक रचना हेतु सहयोग दिया जाना है। समुदाय आधारित परियोजनाओं में समुदाय के सदस्यों की ओर से योजनाओं की लागत

तथा परिचालन एवं रख–रखाव (Operation & Maintenance) में प्रतीक रूप से अंशदान भी लिया जाएगा, ताकि उनमें योजना के प्रति लगाव एवं स्वामित्व की भावना सुदृढ़ हो।

5. परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व भारत सरकार तथा विश्व बैंक के निर्देशानुसार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों से संबंधित तीन समयबद्ध अध्ययन, यथा–(i) Environment Assessment and Environmental Management Framwork Study (ii) Social Assessment, Capacity Building and Communication Study तथा (iii) Rural Drinking Water Supply Sector Performance Study कराये जा रहे है। परियोजना की स्वीकृति की तिथि से पूर्व परियोजना की तैयारी चरण (Pre-Project Phase) में होने वाले व्यय के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पोषित **सपोर्ट फंड** के मद से **₹ 1.00 करोड़** की धनराशि व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी प्रतिपूर्ति कालान्तर में विश्व बैंक द्वारा की जाएगी।

6. **प्रस्तावित परियोजना के तीन मुख्य अवयव हैं यथा Capacity Building and Sector Development, RWSS-Infrastructure Development एवं Project Management.**

परियोजना अंतर्गत RWSS-Infrastructure Development के तहत् राज्य के 10 जिलों में लगभग 400 ग्राम पंचायतों में **330 अदद् पेयजल योजनाएं** तथा स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस परियोजना से लगभग 24 लाख लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत् पूर्व के Disfunctional शौचालयों के स्थान पर नए वैयक्तिक परिवारिक शौचालयों(IHHLs) का निर्माण, ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन(Solid and Liquid Waste Management) तथा पायलट के तौर पर मांग आधारित शौचालय–सह–स्नानागार की योजनाएँ ली जानी हैं।

7. परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा **तीन चरण** निर्धारित किए गए हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण क्रमशः अगस्त, 2013 से अगस्त, 2016 तक; अप्रैल, 2015 से जुलाई, 2018 तक तथा अप्रैल, 2016 से जुलाई, 2019 तक निर्धारित किए गए हैं।

8. परियोजना में उपरोक्त प्रावधान विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए Project Implementation Plan (PIP) के टेन्टेटिव प्रावधान के अनुरूप हैं। परियोजना अंतर्गत राज्य हेतु Component wise राशि एवं Infrastructure Development Phasing (Physical and Financial) तथा Cost Sharing Principle **परिशिष्ट–1 पर** अंकित हैं। इसमें कालान्तर में बदलाव सम्भावित है। समय–समय पर भारत सरकार एवं विश्व बैंक के परामर्श से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधानों में आवश्यक बदलाव किया जा सकेगा।

9. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु विभागीय अभियंताओं की तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रदत्त शक्ति में संशोधन वित्त विभाग तथा/अथवा अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

10. प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत् किए जाने वाले कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। विश्व बैंक द्वारा तैयार किए गए PIP में प्रस्तावित Policy Transformation **परिशिष्ट–2** पर अंकित है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग तथा/अथवा अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा।

11. भारत सरकार एवं विश्व बैंक के दिशानिर्देश एवं **मार्गदर्शिका** तथा प्रस्तावित Fund Flow Arrangement के अनुसार इस परियोजना का संचालन किया जायेगा। NRDWP की मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्व से गठित State Level Scheme Sanctioning Committee (SLSSC) से योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– एम 4–53/2007–96 वि0(2) दिनांक 03.01.2008 द्वारा निर्गत संकल्प (संशोधन सहित) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

12. विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायतार्थ परियोजना में वस्तुओं, सेवाओं एवं कार्यों की अधिप्राप्ति (Procurement) में विश्व बैंक के दिशानिर्देश एवं Bank Procurement Guidelines के पालन की बाध्यता होती है जो बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार लोक निर्माण विभाग (PWD) कोड के प्रावधानों से अलग है। अतः इस परियोजना के अन्तर्गत वस्तुओं (Materials), सेवाओं (Services) एवं कार्यों (Works) की अधिप्राप्तियाँ विश्व बैंक के दिशानिर्देश एवं **World Bank's "Guidelines : Procurement under IBRD Loans and IDA Credits" dated January, 2011 (Procurement Guidelines)** एवं **"Guidelines : Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, dated January, 2011 (Consultant Guidelines)"** के अनुसार की जायेगी।

13. परियोजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं इसके अधीन कार्यरत् बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन(BSWSM) के माध्यम से कराया जाएगा।

14. इस परियोजना अन्तर्गत राज्य के चयनित जिलों में चरणबद्ध रूप से ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करने के उद्धेश्य से विश्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार **बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन** अन्तर्गत राज्य स्तर पर **परियोजना प्रबन्धन ईकाई (State Project Management Unit (SPMU)** तथा जिला स्तर पर **जिला परियोजना प्रबन्धन ईकाई (District Project Management Unit (DPMU)** का गठन किया जाना है। उक्त इकाईयों में कार्य करने वाले अभियंताओं एवं कर्मियों हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के अन्तर्गत कार्यरत् पदाधिकारियों/कर्मियों के रूप में उपलब्ध मानव संसाधन का समुचित उपयोग किया जायेगा। साथ ही इसमें कार्य करने वाले विशेषज्ञो (तकनीकी, वित्तीय, संगठनात्मक विकास, सामाजिक विकास, प्रोक्योरमेन्ट, मूल्याकन एवं अनुश्रवण तथा पर्यावरणीय) को संविदा पर रखा जाना है। जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों हेतु प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर उपयुक्त कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की जाएगी। परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इसके अंतर्गत राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर सभी प्रतिभागी अधिकारियों, कर्मचारियों, पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्षमता एवं कौशल वृद्धि हेतु व्यापक प्रशिक्षण एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व बैंक सहायतित परियोजना के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर संस्थागत विकास की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में कालान्तर में प्रशिक्षण, तकनीकी विकास/सहायता तथा क्षमता सम्बर्द्धन आदि को देखते हुए विभागीय स्तर पर संगठनात्मक ढांचे का विकास किया जाएगा।

15. कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और कार्यक्रम में जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। पेयजल योजनाओं के प्रति ग्रामीण समुदाय की भागीदारी एवं स्वामित्व की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पेयजल की अवस्थापना तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ग्रामीण समुदाय के अंशदान की समुचित व्यवस्था निरूपित हो। लाभार्थियों से योजना के Capital Cost (CAPEX) Contribution के रूप में एक मुश्त 450 रूपये प्रति परिवार (SC/ST परिवार से 225 रूपये) तथा O&M Cost Recovery हेतु Affordable Water tarrifs (60 रूपये प्रति परिवार प्रति माह) **GPWSC द्वारा प्राप्त की जाएगी।**

16. परियोजना को निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत प्रारंभ एवं पूर्ण किए जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत समय–समय पर परियोजना की तैयारी एवं संचालन हेतु आवश्यक विभिन्न नीतिगत बिन्दुओं पर त्वरित निर्णय लिए जाने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अधिकृत रहेगा।

17. परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजलापूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत Special Window of Assistance के माध्यम से किया जाना है। इस परियोजना अन्तर्गत 50 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक से (जो भारत सरकार के लिए ऋण के रूप में तथा राज्य के लिए अनुदान के रूप में उपलब्ध होगी) तथा अवशेष 50 प्रतिशत धन राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित **केन्द्रांश** एवं **राज्यांश** से लगभग क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जायेगी। परियोजना अन्तर्गत प्राप्त धन राशि को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (BSWSM) अन्तर्गत रखने एवं इसके संचालन हेतु एक अलग बचत खाता राष्ट्रीय बैंक में

खोला जायेगा। विश्व बैंक एव भारत सरकार का अंशदान उक्त खाता में हस्तान्तरित करना है। साथ ही राज्यांश की राशि भी उक्त खाता में हस्तान्तरित की जानी है। परियोजना पर राज्यांश की राशि का व्यय राज्य सरकार के योजना बजट से किया जाएगा।

18. भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से **ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना के** कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से उपलब्ध होने वाली 50 प्रतिशत राशि एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की लगभग 25–25 प्रतिशत राशि से कुल संभावित राशि 1422 करोड़ रूपये की लागत से बिहार राज्य के दस जिलों यथा पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं पश्चिमी चंपारण में योजनाओं का कार्यान्वयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त तथा महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14/8/13
(अंशुली आर्या)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/वि02–1014/12– 1482 पटना–15, दिनांक– 16·8·13

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाएं।

14/8/13
(अंशुली आर्या)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/वि02–1014/12– 1482 पटना–15, दिनांक– 16·8·13

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित।

14/8/13
(अंशुली आर्या)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट – 1

भारत सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित **ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना** अंतर्गत बिहार राज्य हेतु Component-wise राशि एवं Infrastructure Development – Phasing (Physical & Financial)

1. परियोजना अंतर्गत बिहार राज्य हेतु Component-wise Project Cost एवं Sources of Funds निम्न प्रकार है :

(in INR Crore)

Project Component	Total Project Allocation	% of Total Project Cost	Sources of Fund							
			World Bank	% World Bank	GOI	% GOI	State Govt.	% State	Community	% Community
Capacity Building and Sector Development	170	12	85	50	81	48	4	2	-	-
Infrastructure Development	1186	83	576	49	305	26	289	24	16	1
Project Management	66	5	34	50	16	25	16	25	-	-
Total Project Cost	**1422**	**100**	**695**	**49**	**402**	**28**	**309**	**22**	**16**	**1**

2. Infrastructure Development

परियोजना अवधि 2013–14 से 2018–19 तक 6 वर्ष होगी। परियोजना अंतर्गत योजना की Physical एवं Financial Phasing निम्न प्रकार है :

Physical Phasing

	Project Components	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	TOTAL
1	**Water**							
a)	***New Schemes***							
	- SHS Schemes	10	30	10	-	-	-	50
	-SGS Schemes	60	60	60	38	20	-	238
	- Small MVS	3	3	2	2	-	-	10
	- Large MVS	1	-	2	1	-	-	4
b)	***Rehabilitation***							
	- SHS/ SGS Schemes	-	10	10	8	-	-	28
c)	**Water Quality Management (Labs)#**	-	5	5	-	-	-	10
d)	**Catchment Area Program**	#	#	#	#	#	#	#

	Total Water Schemes							
2	**Sanitation**							
a)	**Environmental Sanitation**	#	#	#	#	#	#	#
b)	**Household Sanitation**							
	-Individual Household Toilets	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	25,020
	-Pilots for Toilets-cum-Bath Facilities	-	-	350	350	350	350	1,400

Details will be worked out by States during preparation of **Batch I**

Financial Phasing

Figures in Rs. Crore

	Project Component	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	TOTAL
1	**Water**							
a)	*New Schemes*							
	- SHS Schemes	2.7	8.7	3.1	-	-	-	14.5
	-SGS Schemes	93.6	100.2	107.2	72.6	40.9	-	414.4
	- Small MVS	35.0	90.0	82.9	68.7	42.9	-	319.5
	- Large MVS	28.6	42.8	65.4	133.1	52.5	-	322.3
b)	*Rehabilitation*							
	- SHS/ SGS Schemes	-	8.2	8.8	7.5	-	-	24.6
c)	**Water Quality Management (Labs)#**	-	1.6	1.7	-	-	-	3.3
d)	**Catchment Area Program**	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	-	5.2
	Total Water Schemes	**160.8**	**252.4**	**270.1**	**283.0**	**137.4**	-	**1,103.8**
2	**Sanitation**							
a)	**Environmental Sanitation**	4.9	4.9	5.2	5.6	6.0	6.4	33.0
b)	**Household Sanitation**							
	-Individual Household Toilets	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	17.9
	-Pilots for Toilets-cum-Bath Facilities	-	-	0.6	0.6	0.7	0.7	2.7

	Project Component	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	TOTAL
	Total Sanitation	7.4	7.6	8.7	9.3	10.0	10.7	53.6
3	**Engineering Support**	4.1	6.4	6.9	7.2	3.6	0.2	28.4
	Total Infrastructure Cost (Water and Sanitation)	**172.3**	**266.4**	**285.7**	**299.5**	**151.0**	**10.8**	**1,185.8**

Cost Sharing Principle

A Capacity and Sector development	World Bank	GoI	State	Community	Total	Remarks
A1. Capacity Building of MoDWS	50%	50%			100%	Sharing as agreed with MoDWS
A2. Capacity Building of Institutions in the States						
- Buiding	50%	25%	25%		100%	Sharing as agreed with MoDWS
- Staffing (Training Institutions)	50%		50%		100%	Regular staff salaries to be funded from State share
- Training	50%	50%			100%	Central and State share as per NRDWP guidelines; from NRDWP Support funds
A3. District Support Activities	50%	50%			100%	Central and State share as per NRDWP guidelines; from NRDWP Support funds.
A4. Community Support	50%	50%			100%	Government share as per NRDWP guidelines; from NRDWP Support funds
A5. Program IEC	50%	50%			100%	Government share as per NRDWP guidelines; from NRDWP Support funds
A6. Innovative Pilots Program	50%	50%			100%	
A7. Sector Development Studies	50%	50%			100%	Government share as per NRDWP guidelines; from

						NRDWP Support funds
A8. Monitoring and Evaluation	50%	50%			100%	Government share as per NRDWP guidelines; from NRDWP Support funds
A9. Awards for Good Practices	50%	50%				
B Infrastructure Development						
B1. New Investments-Water	*	*	*	1.1%		*Central and State share as per NRDWP guidelines i.e. 50:50 sharing. About 1% capital investment will be mobilized from communities
B2. Rehabilitation and Augmentation	*	*	*	1.1%		*Central and State share as per NRDWP guidelines i.e. 50:50 sharing. About 1% capital investment will be mobilized from communities
B3. Catchment Area Program	50%	50%			100%	Government share as per NRDWP guidelines; from NRDWP- Sustainability Component
B4. Water Quality Management	50%	25%	25%		100%	Government share as per NRDWP guidelines; from NRDWP- WQMS component (50:50)
B5. Household & Environmental Sanitation						
a. Household Sanitation(IHHL)	90%			10%	100%	Dysfunctional toilets will be funded by Project at Rs. 6000 per IHHL for Bihar, Jharkhand and UP. Beneficiary will contribute 10% of this amount
b. Pilot bath-cum-Toilets	25%			75%	100%	Pilots will be funded at Rs. 15000 per pilot with 75% of contribution from beneficiary

c. Solid & Liquid waste Management	100%				100%	While regular NBA funds will be available for all GPs, an additional Rs. 600 per capita is being provided for 20% GPs
B6. Engineering Support through Consultants.	50%	50%			100%	External consultants cost will be borne under NRDWP support fund
C Project Management Support						
C1. Staffing & Consultancy						
- MoDWS	50%	50%			100%	As agreed with MoDWS
- States (SPMU/ DPMU)	50%	25%	25%		100%	Contractual consultants procured from open market by the States to be funded under NRDWP Support funds; Deputed staff from States to be funded by States
C2. Equipment Costs						
- MoDWS	50%	50%			100%	As agreed with MoDWS
- States (SPMU/ DPMU)	50%	25%	25%		100%	As agreed with MoDWS

Proposed Policy Transformation :–

परियोजना के अंतर्गत पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई में Project Implementation Plan (PIP) में Policy Transformation निम्न प्रकार प्रस्तावित है :–

	Existing	Proposed
Decentralization		
Overall Policy making	GoB-PHED	BSWSM
Overall Project Approval	SLSSC	SLSSC
Administrative Approval	Secy- PHED	Secy-PHED
Technical Sanction	PHED (as per DOP)	Executive Engineer- upto Rs. 40 lacs PHED (as per DOP) above Rs. 40 lacs
Financial Sustainability (Cost Recovery)		
Water- O&M Costs	Rs. 5 per tap per month	Affordable user charges: Rs. 60 per HH per month. Gap will be met from Subsidy/Grant from NRDWP.
Water- Capital Costs	Nil	Rs. 450/- per family (Rs. 225/- from SC/ST family).
Environmental Sanitation - O&M Costs	Nil	Nil
Environmental Sanitation - Capital Costs	Nil	Nil
Tariff Fixing - Household Level	GoB	GP
Bulk water at Habitation entry Stage	Doesn't exist	GoB
Ownership and Management (community participation and accountability)		
Single Habitation Schemes (SHS)		
Ownership of assets	PHED	GP
Construction of new schemes /Rehabilitation of existing Schemes	PHED	GPWSC (with assistance from (SO)

O&M	GP (limited to a few schemes handed over) PHED (all other schemes)	GPWSC (with assistance from SO)- may be outsourced.
Multi Village within Single GP Schemes (SGS)		
Ownership of existing assets	PHED	GP
Ownership of new assets	PHED	GP
Construction of new schemes /Rehabilitation of existing assets	PHED	GPWSC
O&M - Common Facilities	PHED	GPWSC
Operations of Intra Habitation Facilities	PHED	GPWSC
Small and Large Multi village Schemes (MVS)- covering more that one GP and large number of Habitations		
Ownership of existing assets	PHED	PHED
Ownership of new assets	PHED	PHED
Construction of new schemes /Rehabilitation of existing assets	PHED	PHED
O&M- Common Facilities	PHED	PHED- Pvt. Operator
Operations of Intra Habitation Facilities	PHED	GPWSC
Environmental Sanitation		
Ownership of existing assets	GP	GP
Ownership of new assets	GP	GP
Construction of new schemes /Rehabilitation of existing assets	GPWSC	GPWSC
O&M – Common Facilities	GPWSC	GPWSC